अपील सूचना अधिकार संख्या 172/2020 (RCMS 2020/00301) विजय कुमार गरोहा, अधिवक्ता, चैम्बर नं. 157, न्यू चैम्बर काम्पलैक्स, जिला कचहरी रोहतक – 124001 (हरियाणा) (मोबाईल नम्बर 94165–15997) <u>बनाम</u> तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर

<u>19.01.2021</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री विजय कुमार गरोहा एवं श्री हरीश टाक, तहसीलदार, सादुलशहर सूचनाओं सहित उपस्थित हुए। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री विजय कुमार ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर को एक आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2020 से प्रस्तुत करके 21 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत अप्रार्थी तहसीलदार, सादुलशहर ने कथन किया कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत देय सूचना अपने पत्रांक भू.अ./आरटीआई/2020/3639 दिनांक 23.12.2020 से प्रार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है जबकि **"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत सूचना प्राप्ति का अधिकार केवल नागरिक को है तथा अधिवक्ता (एडवोकेट) नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आता है' फिर भी उनके द्वारा कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड अपीलार्थी को उपलब्ध करवाया जा चुका है।**

मैनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री विजय कुमार गरोहा ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official
सत्यमेव जयते

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

1. वर्ष 2014 में किसी भी गांव के किसी भी मृतक व्यक्ति की जमीन हेतु उसके वारिस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा क्या किसी भी सरकारी अधिकारी को नियुक्त करके उसको वारिस प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किये गये उन समस्त सरकारी अधिकारीगणों की सूची उनके नाम, पद व अधिकारिक विभागीय पतों सहित सभी को लिखित रूप में सत्यापित कॉपी देकर प्रार्थी को सूचित करें।
2. वर्ष 2014 में किसी भी गांव के किसी भी मृतक व्यक्ति के वारिस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु राजस्थान राज्य सरकार के किसी प्रकार के कानूनी नियमों को प्रावधान (Provisions) को जारी कर रखा था या नही? यदि हाँ तो वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्धारित कानूनी प्रावधानों (Provisions) व राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) पारित किया गया था, उपरोक्त दोनों नियमों (Provisions) व सरकार के गजट नोटिफिकेशन की लिखित रूप में सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।
3. वर्ष 2014 में किसी भी गांव के मृतक व्यक्ति के वारिसान प्रमाण पत्र जारी करने हेतु क्या राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा उसके परिवार के किस–किस सदस्यों अथवा सम्बन्धियों/रिश्तेदारों में किस–किस को जारी करवाने हेतु ऑथोराइज्ड (प्राधिकृत) किया गया था या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके उपरोक्त मृतक व्यक्ति के सदस्यों के नामों अथवा उसके किस–किस सम्बन्धी/रिश्तेदारों को Authorise किया गया है, कृपा करके मृतक [illegible] के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों [illegible] कि राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में [illegible] सूची की लिखित रूप में जारी सूची की सत्यापित प्रति प्रार्थी को देकर सूचित करें।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

4. वर्ष 2014 में किसी भी गांव के किसी मृतक व्यक्ति के वारिस प्रामण पत्र जारी करवाने हेतु उसके परिवर के सदस्यों अथवा मृतक के सम्बन्धियों/रिश्तेदारों के द्वारा उसका वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु सम्बन्धित मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों अथवा सम्बन्धिों/रिश्तेदारों के कौन–कौन से आवश्यक दस्तावेज राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा कानूनी आधार पर निर्धारित नियमों के तहत आवेदकों के लिए अनिवार्य किये गये थे या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों अथवा सम्बन्धियों अथवा रिश्तेदारों के कौन–कौन से अनिवार्य दस्तावेजों की कुल संख्या व उसके नामों सहित लिखित रूप में उसकी सत्यापित कॉपी देकर प्रार्थी को सूचित करें।
5. वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार किसी भी मृतक व्यक्ति के बाहरी राज्य से सरपंच द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र किसी भी राजस्थान राज्य सरकार के उच्च अधिकारी से तसदीक करवाये बगैर मंजूर किया जा सकता है या नहीं? यदि हाँ तो किसी अवस्था में ऐसा करना कानूनी रूप से मान्य है, की लिखित जानकारी सत्यापित कॉपी देकर प्रार्थी को सूचित करें।
6. वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सराकर किसी भी मृतक व्यक्ति के बाहरी राज्य के सरपंच द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र को बाहरी राज्य के किसी उच्च जिला अथवा राज्य अधिकारी के द्वारा सरपंच की शक्ति में वारिसान प्रमाण पत्र जारी करने की स्थिति की तसदीक करवाने का कानूनी रूप से प्रावधान किया गया था या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके उपरोक्त बाहरी क्षेत्र किसी उच्च अधिकारी के द्वारा सरपंच की कार्य प्रणाली तसदीक हेतु [illegible] किया है, उसकी लिखित जानकारी [illegible] प्रार्थी को सूचित करें।
7. वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसी भी मृतक व्यक्ति का वारिसयान प्रमाण पत्र को किसी बाहरी राज्य के द्वारा जारी जिसकी कृषि भूमि राजस्थान राज्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सरकार भूमि रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले उपरोक्त वारिण प्रमाण पत्र की तसदीक करवाने हेतु किसी भी प्रकार का नियम लागू था या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार के बाहरी राज्य राज्य के द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र तसदीक हेतु नियमों की लिखित रूप से सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

8. वर्ष 2014 के राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसी भी मृतक व्यक्ति का वारिस प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य सरकार भूमि रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु परिवार के किन–किन सदस्यों को दाखिल करवाने का अधिकार दिया गया है या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके परिवार के किन–किन सदस्यों को अपने साथ कौन–कौन से आवश्यक दस्तावेज अपने–अपने पहचान हेतु आपकी राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों की लिखित रूप में जानकारी उनकी सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

9. वर्ष 2014 में मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्यों से बाहरी व्यक्ति को मृतक व्यक्ति का वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाने हेतु राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसी प्रकार के नियमों की व्यवस्था की गई थी या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा परिवार के सदस्यों से बाहरी व्यक्ति को मृतक व्यक्ति वारिस प्रमाण पत्र जारी करवाने की Authority के नियमों की लिखित रूप में जानकारी सत्यापित करके प्रार्थी काके देकर सूचित करें।

10. वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा मृतक के परिवार के सदस्यों से बाहरी व्यक्ति किसी भी मृतक व्यक्ति के वारिसयान प्रमाण पत्र दर्ज क[illegible] मृतक परिवार के सदस्यों से Power of Attorney या Authority Letter लिए बगैर ही मृतक का वारिसान [illegible] करवाने हेतु इजाजत देता है या नहीं? यदि हाँ तो कृपा [illegible] के उपरोक्त Provision or Rule की सत्यापित कॉपी देकर लिखित रूप में प्रार्थी ाके सूचित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

11. वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसी भी गांव के किसी भी मृतक व्यक्ति का वारिस प्रमाण पत्र जारी करने हेतु गांव के सरपंच के द्वारा उपरोक्त जारी करने की शक्ति प्रदान करते है या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच को मृतक का वारिसयान प्रमाण पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान करती है, की लिखित जानकारी उन सभी नियमों की सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।
12. वर्ष 2014 के राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायत के सरपंच को किसी भी व्यक्ति के शपथ पत्र को सत्यापित करने की शक्ति प्रदान करती है या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके उपरोक्त नियम की लिखित जानकारी सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें
13. वर्ष 2014 में कार्यालय उप–तहसीलदार (भूमि अधिकारी) लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर आपके कार्यालय क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आते है या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके वर्ष 2014 में अपने क्षेत्राधिकार में कुल कितनी तहसील, उप–तहसील कार्यरत थी उन समस्त की कुल संख्या व नामों सहित की लिखित जानकारी सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।
14. वर्ष 2014 में कार्यालय उप–तहसीलदार (भूमि अधिकारी) लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ''मृतक रसाला उर्फ रिसाला के देहान्त के बाद उप–तहसीलदार राजस्व हल्का पटवारी के समक्ष वारिस प्रमाण पत्र पेश हुआ'' जिसके बारे कार्यालय उप–तहसीलदार (भूमि अधिकारी) लालगढ [illegible] तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर [illegible] /सू.अ./2020/76 दिनांक 24.02.2020 [illegible] की एवज में जारी किया गया [illegible] हाँ तो कृपा करके उपरोक्त लीगल नोटिस की सत्यापित कापी व उप–तहसीलदार/राजस्व हल्का पटवारी के समक्ष वारिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

प्रमाण पत्र पेश करने वाले व्यक्ति का नाम, उम्र, पिता का नाम, इत्यादि की लिखित जानकारी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

15. वर्ष 2014 में कार्यालय उप–तहसीलदार (भूमि अधिकारी) लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर में दिनांक 23.04.2014 को नम्बरदार व सरपंच ग्राम पंचायत बामला के जारी वारिसयान प्रमाण पत्र क्या मृतक रसाला उर्फ रिसाला के परिवार के सदस्यों गीता, रोशनी, दर्शना व मदन के द्वारा आवेदन करके तैयार करवाया गया है या नहीं? यदि हां तो कृपा करके मृतक के रिश्ते में किस सदस्य के द्वारा वारिसयान प्रमाण पत्र जारी किस तारीख को किस सदस्य के द्वारा वारिसयान प्रमाण पत्र जीर किस तारीख को किस सदस्य के द्वारा जारी करवाया, आवेदन की तारीख, आवेदक का नाम, उम्र व पते की लिखित रूप से वारिसयान प्रमाण पत्र दिनांक 23.04.2014 की सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

16. वर्ष 2014 में कार्यालय उप–तहसीलदार (भूमि अधिकारी) लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर में वारिसयान प्रमाण पत्र दिनांक 23.04.2014 के साथ संलग्न शपथ पत्र जिसमें गीता, रोशनी, दर्शना पुत्रियां रसाला उर्फ रिसाला व मदन पुत्र रसाला उर्फ रिसाला के चार वारिस बनाये गये थे या नहीं? यदि हाँ तो मृतक के किस सदस्य के द्वारा शपथ पत्र के द्वारा मृतक रसाला उर्फ रिसाला के वरिसयान की तसदीक की गई है, उस शपथकर्त्ता का नाम, उम्र व पते की जानकारी वारिसयान प्रमाण पत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र की लिखित रूप में जानकारी सत्यापित कापी प्रार्थी को देकर सूचित करें।

17. वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसी भी मृतक व्यक्ति के सरकारी रिकॉर्ड में वारिसान प्रमाण पत्र दर्ज करवाने के समय वारिसों का व्यक्तिगत रूप से अधिकारीगणों के समक्ष हाजिर होना जरूरी था या नहीं?

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

यदि हाँ तो समस्त वारिसों का हाजिर होना जरूरी है या वारिस में से कोई भी एक व्यक्ति अन्य दूसरे वारिसों के प्रमाण पत्र देकर या जीपीए लेकर दर्ज करवा सकता है। कृपा करके वारिसों की संख्या की लिखित जानकारी सत्यापित कापी देकर सूचित करें।

18. वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसी भी मृतक व्यक्ति के राजस्व रिकार्ड में वारिसान प्रमाण पत्र दर्ज करवाने के समय वारिसों की अनुपस्थिति में अधिकारीगणों के समक्ष जाकर अन्य व्यक्ति दर्ज करवा सकता था या नहीं? यदि हाँ तो वारिसों की अनुपस्थिति में अन्य व्यक्ति के वारिसों की तरफ कोई "Authority Letter" अथवा "Power of Attorney" regarding the same अधिकारीगणों के समक्ष पेश करी गई थी या नहीं, की लिखित जानकारी सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

19. वर्ष 2014 मं कार्यालय उप–तहसीलदार (भूमि अधिकारी) लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक/भू.अ./2020/76 दिनांक 24.02.2020 के पत्र के दूसरे पैरा के आखिरी वाक्य में विरासतन इंतकाल तत्कालीन वर्ष 2014 के सरपंच सरदारपुरा जीवन के किस सरपंच के द्वारा स्वीकृत किया गया था उस समय मृतक रसाला उर्फ रिसाला के परिवार का कौन–सा सदस्य मौजूद था ? अथवा मृतक के परिवार के सदस्यों की तरफ किसी भी प्रकार के Authority Letter अथवा Power of Attorney के आधार पर स्वीकृत किया गया था या नहीं? यदि हाँ तो मृतक के परिवार के सदस्याके कि द्वारा किसको अपनी तरफ से विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने हेतु Authorised किया गया था, कृपा करके उपरोक्त दस्तावेज Power of Authority अथवा Authority Letter की विरासतन इंतकाल की सत्यापित कापी देकर प्रार्थी को सूचित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

20. क्या कार्यालय उप–तहसीलदार (भूमि अधिकारी) लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक/भू.अ./2020/76 दिनांक 24.02.2020 के

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

अनुसार सन् 2015 में गीता ने तीजा के पक्ष में बेचनामा जारी किया था या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके सन् 2015 में तीजा के पक्ष में किये गये बेचनामा की सत्यप्रति कापी बेचनामा में हाजिर गवाहों के नाम, उम्र व पते व गवाही के रूप में दिए गए समस्त पहचान पत्र दस्तावेजों की सत्यापित कापी सहित देकर प्रार्थी को सूचित करें।

21. क्या कार्यालय उप–तहसीलदार (भूमि अधिकारी) लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर के द्वारा जारी पत्र क्रमांक/भू.अ./2020/76 दिनांक 24.02.2020 के अनुसार दर्शना ने अपने हिस्से का रकबा सन् 2017 में जयदीप के पक्ष में बेचनामा कर दिया था या नहीं? यदि हाँ तो कृपा करके सन् 2017 में दर्शना ने जयदीप के पक्ष में किये गये बेचनामा की सत्यापित कापी व बेचनामा में हाजिर गवाहों के नाम, उम्र व पते व गवाही के रूप में दिए गए समस्त पहचान पत्र दस्तावेजों की सत्यापित कापी सहित देकर प्रार्थी को सूचित करें।

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर ने अपने पत्रांक भू.अ./आरटीआई/2020/3639 दिनांक 23.12.2020 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्रों द्वारा आवेदक श्री विजय कुमार गरोह एडवोकेट द्वारा चाही गई सूचनाएं बिन्दुवार निम्नानुसार हैः

1. वर्ष 2014 में किसी भी गांव के किसी भी मृतक व्यक्ति की जमीन हेतु उसके वारिस प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु किसी भी सरकारी अधिकारी को नियुक्त करके उसको वारिस प्रमाण–पत्र जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है। वारिस प्रमाण पत्र जारी करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. वर्ष 2014 में राज्य सरकार ने वारिस प्रमाण –पत्र जारी करने बाबत कोई कानूनी प्रावधान या गजट नोटिफिकेशन राजस्व विभाग के लिए जारी नहीं किया था। वारिस प्रमाण–पत्र जारी करना राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में न होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।
3. वारिस प्रमाण पत्र राजस्व न्यायालय द्वारा नहीं किये जाते है। चाही गई सूचना इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित नहीं है।
4. वारिस प्रमाण पत्र राजस्व न्यायालय द्वारा जारी नहीं किये जाते है। अतः चाही गई सूचना इस कार्यालय के क्षेत्राधिका से सम्बन्धित नहीं है।
5. राजस्थान सरकार के राजस्व कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं
6. राजस्थान सरकार के राजस्व कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं
7. राजस्थान सरकार के राजस्व कानूनों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं हैं
8. राजस्व नियमों में विरास्त इन्तकाल दर्ज करवाने बाबत व्यक्तिगत अधिकार बाबत कोई प्रतिबन्ध नहीं है। कोई भी वारिस तथ्यों की सूचना सम्बन्धित पटवारी को उपलब्ध करा सकता है।
9. इस बिन्दु के सम्बन्ध में राजस्व नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस बिन्दु का सम्बन्ध सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से है।
10. इस बिन्दु के सम्बन्ध में राजस्व नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस बिन्दु का सम्बन्ध सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से है।
11. इस बिन्दु के सम्बन्ध में राजस्व नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। किसी ग्राम पंचायत के सरपंच की शक्तियां पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

12. इस बिन्दु के सम्बन्ध में राजस्व नियमों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। किसी ग्राम पंचायत के सरपंच की शक्तियां पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित हैं।
13. वर्ष 2014 में उपतहसील लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर की उपतहसील लालगढ जाटान, तहसील सादुलशहर के अन्तर्गत आते है। वर्ष 2014 में कार्यरत तहसील एवं उपतहसील की कुल संख्या 2 थी, जिसमें एक तहसील सादुलशहर एवं दूसरी उपतहसील लालगढ़ जाटान।
14. बिन्दु सं. 14 के सम्बन्ध में चाही गई सूचना के लीगल नोटिस का जवाब उपतहसील कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2020/76 दिनांक 24.02.2020 आपको भिजवा दिया गया है। वारिस प्रमाण पत्र पेश करने वाले व्यक्ति का नाम, उम्र, पिता का नाम की लिखित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
15. बिन्दु संख्या 15 का उतर इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बायला तहसील व जिला भिवानी से जारी हुआ है।
16. बिन्दु संख्या 15 का उतर इस कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है। वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत बायला तहसील व जिला भिवानी से जारी हुआ है।
17. वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा किसी भी मृतक व्यक्ति के राजस्व रिकॉर्ड में वारिसान नामान्तरकरण दर्ज करवाने के समय वारिसों को व्यक्तिगत रूप से अधिकारीगणों के समक्ष हाजिर होना जरूरी नहीं है। मृतक की सम्पति में हित रखने वाले

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

व्यक्ति का यह समक्ष हाजिर होना जरूरी नहीं है। मृतक की सम्पति में हित रखने वाले व्यक्ति का यह दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित तथ्य का ज्ञान गांव के पटवारी को करवाये तथा उसकी सूचना उस तहसील के तहसीलदार को, जिसमें कि वह भूमि स्थित हो, सीधे या गांव के पटवारी या भू–अभिलेख निरीक्षक के मार्फत दे देवें। वारिसों की संख्या का कोई प्रावधान नहीं है।

18. वर्ष 2014 में राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा किसी भी मृतक व्यक्ति के राजस्व रिकॉर्ड में वारिसान प्रमाण पत्र दर्ज करवाने के समय वारिसों को व्यक्तिगत रूप से अधिकारीगणों के समक्ष हाजिर होना जरूरी नहीं है। मृतक की सम्पति में हित रखने वाले व्यक्ति का यक दायित्व होगा कि वह सम्बन्धित तथ्य का ज्ञान गांव के पटवारी को करवाये तथा उसकी सूचना उस तहसील के तहसीलदार को, जिसमें कि वह भूमि स्थित हो, सीधे या गांव के पटवारी या भू.अभिलेख निरीक्षक के मार्फत दे देवें। वारिसों की अनुपस्थिति में अन्य व्यक्ति के वारिसों की तरफ कोई Authority Letter अथवा Power of Attorney बाबत राजस्व नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

19. वर्ष 2014 में मुताबिक रिकॉर्ड चक 5 एसपीएम का विरास्तन इन्तकाल संख्या 396 सरोज नाम के सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया था। शेष उतर ग्राम पंचायत सरदारपुरा जीवन के कार्यों से सम्बन्धित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

20. सन् 2015 में चक [illegible] पुत्री रसाला ने तीजा पत्नी [illegible] 0.506 है रकबा का बेचान किया है। रजिस्ट्र[illegible]प्रति संलग्न है। गवाहों का विवरण बैयनामा में अंकित है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. सन् 2017 में चक 5 एसपीएम में जरिये बैयनामा दर्शना पुत्री रसाला ने जयदीप पुत्र ओमप्रकाश के पक्ष में 0.506 है. रकबा का बैचान किया है। रजिस्ट्रड बैयनामा की चित्रप्रति संलग्न है। गवाहों का विवरण बैयनामा में अंकित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
सादुलशहर

तहसीलदार (भू.अ.) सादुलशहर ने उक्त का अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी विजय कुमार गरोहा, एडवोकेट ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 26.08.2020 के द्वारा 21 बिन्दुओं की सूचना चाही है। प्रार्थी ने विजय कुमार गरोहा एडवोकेट के नाम से प्रार्थना पत्र दिया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत सूचना प्राप्ति का अधिकार केवल नागरिक को है तथा अधिवक्ता (एडवोकेट) नागरिक शब्द की परिभाषा में नहीं आता है। अधिवक्ता कृत्रिम व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसलिए प्रार्थी को अधिवक्ता होने के कारण सूचना प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। फिर भी आवेदन के सम्बन्ध में कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड की सूचना प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./2020/3639 दिनांक 23.12.2020 के जरिये डाक भिजवा दी गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested

-sd-
तहसीलदार (भू.अ.)
सादुलशहर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल नागरिकों को है और प्रार्थी ने अधिवक्ता की हैसियत से सूचना चाही है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत सूचना प्राप्त नहीं कर सकते है फिर भी लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सादुलशहर द्वारा प्रार्थी को चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में दिनांक 23.12.2020 से जो उत्तर दिया गया है वह सही है और जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, सादुलशहर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत पूर्व में भिजवाई गई सूचनाएं पुनः रजिस्टर्ड डाक से उपलब्ध करवा दे।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.01.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahavir Prasad Verma
Date: 2021.02.08 12:59:41 IST
Reason: SelfAttested